रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 1973/माघ 5, 1894

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1973/MAGHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 25th January 1973

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of January 1973:

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to the Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Explanation.—For the purpose of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
1	2	3
1	B. Twill bags of the size 43 1/2"×26 1/2," WIP 44"×26 1/2" HD 2 1/4 lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS: 2566—1965 as amended upto-date).	Rs. 251·25 per 100 bags.
2	D W Flour Bags 43 1/2"×28" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2 1/2 lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain dry sewn.	Rs. 227·93 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags.	
	warp way	weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking Strength	160 Kg. Rs.	165 Kg. Rs.
160	..	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	..

[No. 18012/1/72-Tex (D I)]

B. D. KUMAR Jt. Secy.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973

जी० एस० आर० 30(अ).--भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित, उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार

ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्सम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा इस आदेश से सलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) मे उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप मे निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों मे उल्लिखित पटसन के वस्त्रो की किस्मे जनवरी, 1973 के मास मे खरीदी या बेची जायेगी।

परन्तु इस आदेश से सलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम सख्या 1 मे उल्लिखित पटसन के वस्त्रो की किस्म के बारे म इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से सलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियो मे निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिग स्ट्रैंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) म बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा।

स्पष्टीकरण —इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से सलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची मे निर्दिष्ट मूल्यो मे उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नही है, जिन्हे खरीदार को ही, वास्तविक आकड़ो के आधार पर, एक्स-फैक्ट्री मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा।

2. इस आदेश मे दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रो की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नही होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण मे पैरा 1 मे निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम स०	पटसन के बोरो का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
1	बी ट्विल बोरे साइज 48 $\frac{1}{2}$ × 26 $\frac{1}{2}''$ जिस का वजन 44 × 26 $\frac{1}{2}''$ एच डी 2 $\frac{1}{4}$ पौण्ड प्रति बोरी 6 × 8, 3 बल्यू, खुश्क मिली हुई के आनुपात मे हो और जो शेष सभी प्रकार से वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियो के अनुरूप हो (सख्या आई एस 2566—1965 अद्यतन यथा सशोधित)।	251 25 रुपये प्रति 100 बोरे
2.	डी-डब्ल्यू आटे के बोरे 48$\frac{1}{2}'$ × 28' एच०डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56 × 28' एच०डी० 2 $\frac{1}{2}$ पौण्ड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुश्क मिला हुआ।	227.03 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी (ताने में)	(बाने में)
आई०एस० एस० स्टैण्डर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 18012/1/72-टैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973